न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 250 / 2023

अनवान : –

1. बलराम पुत्र रणजीत उर्फ जीतराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. कमला पुत्री रणजीत उर्फ जीताराम पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व तारानगर जिला चुरू।
5. उपपंजीयक तारानगर जिला चुरू।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांक: 02/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 92 / 92 की कुल 2.2770 है० तथा चक 15 एनटीआर–ए की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 34 / 31 की कुल 1.2650 है0 एवं चक 17 एनटीआर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 90 / 90 की कुल 2.2770 है० एवं खाता संख्या 110 / 110 की कुल 4.5540 है० तथा रोही मौजा मदावास तहसील तारानगर की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 48 / 47 की कुल 7.0559 है० भूमि सायल व गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार जो मिताक्षरा हिन्दु विधि से शासित व है उक्त भूमि पूर्व में सादय के दादा से वादी के पिता रणजीत उर्फ जीताराम को प्राप्त हुई एवं रणजीत उर्फ जीताराम से वादी बलराम, हरदेई, बाधो व कमला के विरासतन दर्ज हुई। सायल के पिता की अंतिम इच्छा थी कि अपनी तीनों पत्रियों व पुत्र में स्नेह बना रहे इसलिए अपने पिता की इच्छा के मुताबिक सायल की बहिन हरदेई बाधो व कमला ने अपना हिस्सा अपने भाई को देने का फैसला किया व अपने परिवार के सदस्यों रिश्तेदारों के समक्ष अपने भाई सायल को हक त्याग कर दिया था जो मौखिक था। घरेलू राजीनामा के मुताबिक लिखा पढ़ी नहीं की इस कारण आज भी राजस्व रिकार्ड में सायल का हक व हिस्सा सायल की बहिनों के नाम दर्ज है जिसमें दो बहिने हरदेई, बाधो ने दिनांक 10 व 11 जुलाई 2023 को दस्तबरदारी कर अपने भाई के पक्ष में करवा दी लेकिन गैरसायल संख्या 1 कमला जो अपने ससुराल के दवाब में दस्बरदारी करने नहीं आई वादग्रस्त भूमि में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का अपने भाई के पक्ष में हक त्याग कर दिया जिसे सायल अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है जो वादी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई थी तथा अपने पिता के जीवित रहते समय ही अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाई के पक्ष में त्याग कर दिया लेकिन राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण सायल के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए सायल अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवा कर जमाबंदी दुरूस्त करवा वादग्रस्त भूमि में वादी गैरसायल संख्या 1 का जो भी हक हिस्सा है उसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Rahul

गैरसायल संख्या 1 का नाम कलमजन करवाकर सायल अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। 6– यह कि सायल ने गैरसायल संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि वादग्रस्त भूमि में सायल का हिस्सा जो गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है को सायल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दे 'और खातेदार काश्तकार होना स्वीकार कर लेवे तथा वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे तथा किसी भी प्रकार का दस्तावेज वसीयत/दानपत्र व वैयनामा व बैयनामा तस्दीक ना करावे तथा गैरसायल संख्या 1 अपना जो भी हक हिस्सा वह राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर वह सायल के नाम दर्ज करवा दे। वादग्रस्त भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसको गैरसायल संख्या 1 फरोख्त करने की योजना बना रही है जिससे सायल को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 92/92 की कुल 2.2770 है० तथा चक 15 एनटीआर–ए की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 34/31 की कुल 1.2650 है0 एवं चक 17 एनटीआर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 90/90 की कुल 2.2770 है० एवं खाता संख्या 110/110 की कुल 4.5540 है० तथा रोही मौजा मदावास तहसील तारानगर की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 48/47 की कुल 7.0559 है० भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक भूमि है उक्त भूमि सायल व हरदेई बाधो व कमला के नाम विरासतन दर्ज हुई। सायल की बहनों ने अपना हिस्सा अपने भाई को देने का फैसला किया व अपने परिवार के सदस्यों रिश्तेदारों के समक्ष अपने भाई सायल को हक त्याग कर दिया था जो मौखिक था। घरेलू राजीनामा के मुताबिक लिखा पढ़ी नहीं की इस कारण आज भी राजस्व रिकार्ड में सायल का हक व हिस्सा सायल की बहिनों के नाम दर्ज है जिसमें दो बहिने हरदेई, बाधो ने दिनांक 10 व 11 जुलाई 2023 को दस्तबरदारी कर अपने भाई के पक्ष में करवा दी लेकिन गैरसायल संख्या 1 कमला जो अपने ससुराल के दवाब में दस्बरदारी करने नहीं आई वादग्रस्त भूमि में गैरसायल संख्या 1 [illegible] दर्ज भूमि का अपने भाई के पक्ष में हक त्याग कर दिया जिसे सायल अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। सायल का कथन है कि अप्रार्थी स0 1 ने सायल के पक्ष में मौखिक दस्तबरदारी की है जबकि दस्तबरदारी बाबत कोई दस्तावेज/ साक्ष्य पेश नही किया गया है मौखिक कथनों के आधार पर प्रार्थी अनुतोष पाने का अधिकारी न ही है, उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul

पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 04.10.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/12/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:23 IST
Reason: SelfAttested